

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 714/2015

संस्थापित दिनांक 23/09/2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. वाहिद कुरैशी पुत्र नजर मोहम्मद उम्र 42 वर्ष  
निवासी— वार्ड क्र0 15 गोहद जिला भिण्ड
2. काले खों पुत्र हसीब खों उम्र 27 वर्ष  
निवासी— वार्ड क्र0 14 गोहद जिला भिण्ड
3. राजा पुत्र मेहबूब खों उम्र 21 वर्ष  
निवासी वार्ड क्र0 11 गोहद जिला भिण्ड

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 452 भा0द0सं0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य।)  
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री प्रवीण गुप्ता।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 21.03.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 11.08.2015 को दिन के लगभग 11:20 बजे फरियादी रामलखन सोनी की दुकान के बाहर सदर बाजार गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी रामलखन सोनी को माँ बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी रामलखन सोनी की दुकान में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित करने, फरियादी रामलखन सोनी को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी रामलखन तथा आहत आकाश सोनी की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294, 452, 506 भाग-2 एवं 323 (दो शीर्ष) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.2015 को दिन के लगभग 11:20 बजे फरियादी रामलखन सोनी अपनी दुकान खोलकर बैठा था, बगल की दुकान में आकाश सोनी

बैठा था तभी आरोपी काले खॉ, वाहिद कुरैशी, राजा खॉ एवं बिट्टू हलवाई व 15-20 अज्ञात लोग एक राय होकर उसकी दुकान पर आये थे एवं फरियादी रामलखन तथा आकाश सोनी के साथ मारपीट की थी तथा जानलेवा हमला किया था और दो डिब्बे बिछिये तथा तोड़िया उठाकर ले गये थे, जिसमें लगभग 20-25 जोड़ी चांदी के बिछिए एवं चार जोड़ी चांदी की तोड़िया था। आकाश सोनी के हाथ से भी चांदी की अंगूठी चुरा कर ले गये थे उसने एवं कुछ लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की थी तो बाहिद कुरैशी ने कट्टा निकाल कर अडा दिया था और काले खॉ ने डंडे से प्रहार किया था जो कि रामलखन सोनी की दुकान के सटर में लगा था। फरियादी रामलखन सोनी द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखनी आवेदन दिया गया था पुलिस द्वारा आवेदन की जांच की गई थी तथा जांच पश्चात् आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र० 274/15 पर भा०द०सं० की धारा 323, 294, 451, 506-बी का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी रामलखन एवं आहत आकाश द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा०द०सं० की धारा 294, 323-दो शीर्ष एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा०द०सं० की धारा 452 के अंतर्गत विचारण शेष है।

4. द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 11.08.2015 को दिन के 11:20 बजे सदर बाजार गोहद में फरियादी रामलखन सोनी की दुकान में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी रामलखन अ०सा० 1, भगवती प्रसाद जोशी अ०सा० 2, आकाश सोनी अ०सा० 3, मनोज अ०सा० 4, कमलकिशोर सोनी अ०सा० 5, रूस्तम खॉ अ०सा० 6 एवं प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है। जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रामलखन सोनी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 11.08.2015 की सुबह 11-11:30 बजे की है। वह

रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, इतने में आरोपी काले खॉ, वाहिद कुरैशी, राजा खॉ एवं बिट्टू 15-20 अन्य लोगों सहित आये थे और उक्त लोगों ने दुकान के अंदर आकर हमला कर दिया था, उसकी सराफे की दुकान है, उस समय उसने तोड़िया एवं बिछिया का डिब्बा बाहर निकाल कर रखा था, काले खॉ ने डंडा मारा था जो दुकान की सटर में लगा था, वह खड़ा हुआ था तो बिट्टू एवं राजा खॉ ने उसका हाथ पकड़ लिया था तथा वाहिद कुरैशी ने कट्टा अड़ा दिया था और उसके साथ मारपीट करने लगे थे उसके बाद दो डिब्बे चांदी के बिछिया व तोड़िया उठाकर ले गये थे, डिब्बे में 20-25 जोड़ी बिछिया चांदी की थी और चार जोड़ी तोड़िया थी, बगल में आकाश की दुकान है वह बचाने आया था तो उसकी भी मारपीट की थी और उसके हाथ से चांदी की अंगूठी छीन ले गये थे, अन्य लोगों ने आकर बीच बचाव किया था। उसने थाना गोहद में आवेदन दिया था जो प्र०पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस अधीक्षक भिण्ड को आवेदन दिया था जो प्र०पी० 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद पुलिस द्वारा एफ०आई०आर० लेख की गई थी एफ०आई०आर० में बिट्टू का नाम हटा दिया था नक्शामौका प्र०पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आरोपीगण एक राय होकर बिना विवाद के आये थे और झगड़ा करने लगे थे, वह हाजिर अदालत सभी आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि हाजिर अदालत आरोपी में काले खॉ नहीं है, हाजिर अदालत आरोपीगण से पूछे जाने पर एक आरोपी ने अपना नाम काले खॉ बताया है। पद क्र० 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण के साथ उसकी दुकान पर झगड़ा करने करीबन 15-20 लोग आये थे। पद क्र० 6 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने तोड़िया, बिछिया दुकान से उठाते हुए किसी को नहीं देखा था तथा व्यक्त किया है कि उसे नीचे दबाकर मारपीट कर रहे थे, इसीलिए वह नहीं देख पाया था। आकाश सोनी के हाथ से चांदी की अंगूठी छुड़ाने वाली बात उसे आकाश सोनी ने बताई थी। वह नहीं देख पाया था कि आकाश सोनी के हाथ से अंगूठी किसने निकाली थी। पद क्र० 7 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस जांच कथन प्र०डी० 1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पद क्र० 10 में उक्त साक्षी का कहना है कि लात घूंसे से आकाश की मारपीट चार लोगों ने की थी जिसमें से काले खॉ डंडा लिये हुए था। आकाश को काले खॉ ने डंडा नहीं मारा था केवल लात घूंसे से मारपीट की थी, जो 15-20 लोग आरोपीगण के साथ थे, उन लोगों ने उसकी व आकाश की कोई मारपीट नहीं की थी। जब आरोपीगण मारपीट कर चांदी की तोड़िया उठाने लगे थे, उसको रोकते समय आरोपीगण ने कट्टा अड़ाया था, उसने आकाश की कोई चोट नहीं देखी थी।

9. साक्षी भगवती प्रसाद जोशी अ०सा० 2, आकाश सोनी अ०सा० 3, मनोज अ०सा० 4, कमलकिशोर सोनी अ०सा० 5 एवं रूस्तम खॉ अ०सा० 6 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गण है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

10. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ०सा० 7 ने जांच रिपोर्ट प्र०पी० 9 को प्रमाणित किया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं, अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामलखन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था तभी आरोपी काले खों, बाहिद कुरैशी, राजा खों एवं बिट्टू ने अन्य 15-20 लोगों के साथ उसकी दुकान के अंदर आकर हमला कर दिया था परन्तु बिट्टू प्रकरण में आरोपी नहीं है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी रामलखन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में बिट्टू द्वारा भी दुकान के अंदर हमला करना बताया है परन्तु यह बात फरियादी रामलखन द्वारा अपने पुलिस कथन प्र०डी० 2 में नहीं बताई गई है। फरियादी रामलखन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया है कि आरोपीगण उसके चांदी के बिछिया एवं तोड़िया उठाकर ले गये थे तथा आकाश के हाथ से चांदी की अंगूठी छीन ले गये थे परन्तु यह बात भी फरियादी रामलखन के पुलिस कथन प्र०डी० 2 में वर्णित नहीं है। फरियादी रामलखन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया है कि आरोपी काले खों ने उसे डंडा मारा था जो कि उसकी दुकान की सटर में लगा था और जब वह खड़ा हुआ था तो बिट्टू एवं राजा खों ने उसका हाथ पकड़ लिया था तथा बाहिद ने उसके कट्टा अड़ा दिया था परन्तु इस तथ्य का उल्लेख कि बिट्टू एवं राजा खों ने फरियादी का हाथ पकड़ा था एवं बाहिद ने फरियादी के कट्टा अड़ा दिया था, फरियादी रामलखन अ०सा० 1 के पुलिस कथन प्र०डी० 2 में नहीं है इस प्रकार उक्त बिन्दुओं पर फरियादी रामलखन अ०सा० 1 के कथन उसके पुलिस कथन प्र०डी० 2 से विरोधाभासी रहे हैं, जो फरियादी के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी रामलखन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी काले खों द्वारा उसके दुकान की सटर में डंडा मारना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा हाजिर अदालत आरोपी काले खों को नहीं पहचाना गया है यह तथ्य भी फरियादी के कथनों को संदेहास्पद बना देता है।

13. फरियादी रामलखन अ०सा० 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपीगण उसकी दुकान से बिछिया एवं तोड़िया उठाकर ले गये थे तथा आकाश के हाथ से उसकी चांदी की अंगूठी छीन ले गये थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने तोड़िया एवं बिछिया दुकान से उठाते हुए किसी को नहीं देखा था तथा उसने यह भी नहीं देखा था कि आकाश सोनी के हाथ से अंगूठी किसने निकाली है उसे आकाश सोनी ने ही अंगूठी निकालने वाली बात बताई थी, इस प्रकार फरियादी रामलखन अ०सा० 1 के उक्त कथन से यह दर्शित है कि फरियादी रामलखन अ०सा० 1 का कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर भी विरोधाभासी रहा है। उक्त साक्षी के कथनों से यह भी दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा स्वयं आरोपीगण को बिछिए एवं तोड़िए ले जाते हुए तथा आकाश सोनी की अंगूठी ले जाते हुए नहीं देखा गया है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी रामलखन अ०सा० 1 ने अपने प्र०पी० 1 के आवेदन में भी यह वर्णित किया है कि आरोपीगण उससे एवं आकाश सोनी से चांदी के जेवर छुड़ाकर ले गये थे परन्तु फरियादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया गया है कि उसने स्वयं आरोपीगण को जेवर ले जाते हुए नहीं देखा था इस प्रकार फरियादी रामलखन अ०सा० 1 के कथनों से यह दर्शित है कि फरियादी रामलखन अ०सा० 1 के कथन न केवल अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं बल्कि आवेदन प्र०पी० 1 एवं पुलिस कथन प्र०डी० 2 से भी विरोधाभासी रहे हैं, यह तथ्य सम्पूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देते हैं।

14. फरियादी रामलखन अ०सा० 1 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा दुकान में घुसकर उसकी एवं आकाश की मारपीट करना बताया है परन्तु यह बात स्वयं आहत आकाश सोनी द्वारा नहीं



बताई गई है। आकाश सोनी अ0सा0 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि बाजार में रामलखन सोनी का झगड़ा हुआ था परन्तु किसके बीच हुआ था उसे पता नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने दुकान में घुसकर रामलखन की मारपीट की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसे भी चोटे आई थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसके सामने कोई मारपीट नहीं की थी तथा यह भी कथन किया है कि आरोपीगण ने उसकी मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार आकाश सोनी अ0सा0 3 के कथनों से यह दर्शित है कि आकाश सोनी अ0सा0 3 ने फरियादी रामलखन अ0सा0 1 के कथन का समर्थन नहीं किया है तथा आरोपीगण द्वारा घटना कारित करने से इंकार किया है।

15. फरियादी रामलखन अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण ने घटना वाले दिन आकाश की भी मारपीट की थी तथा उसके हाथ से चांदी की अंगूठी छीन ली थी परन्तु यह बात स्वयं आहत आकाश अ0सा0 3 द्वारा नहीं बताई गई है। आकाश अ0सा0 3 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण ने उसकी कोई मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी रामलखन अ0सा0 1 के कथन आकाश सोनी अ0सा0 3 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं, फरियादी रामलखन अ0सा0 1 के कथन का समर्थन आकाश अ0सा0 3 द्वारा नहीं किया गया है यह तथ्य भी सम्पूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देता है।

16. साक्षी भगवती सोनी अ0सा0 2, मनोज अ0सा0 4, कमलकिशोर अ0सा0 5 एवं रूस्तम खॉ अ0सा0 6 जिन्हें अभियोजन कहानी के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। यह तथ्य भी सम्पूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देता है।

17. फरियादी रामलखन अ0सा0 1 ने अपने कथन में आरोपी बाहिद द्वारा उसके कट्टा अड़ा देना बताया है परन्तु बाहिद से प्रकरण में कट्टे की जप्ती नहीं हुई है तथा उक्त बिन्दु पर फरियादी रामलखन अ0सा0 1 के कथन का समर्थन शेष साक्षीगण द्वारा भी नहीं किया गया है उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

18. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी रामलखन अ0सा0 1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं फरियादी रामलखन अ0सा0 1 के कथन आवेदन प्र0पी0 1 एवं पुलिस कथन प्र0डी0 2 से भी तात्त्विक बिन्दुओं पर विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी रामलखन अ0सा0 2 के कथन का समर्थन शेष साक्षीगण द्वारा भी नहीं किया गया है। साक्षी भगवती प्रसाद जोशी अ0सा0 2, आकाश सोनी अ0सा0 3, मनोज अ0सा0 4, कमलकिशोर सोनी अ0सा0 5, रूस्तम खॉ अ0सा0 6 द्वारा भी आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा0 7 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। फरियादी रामलखन अ0सा0 1 के कथन अपने परीक्षण के

दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं एवं फरियादी रामलखन अ0सा0 1 के कथनों की पुष्टि किसी साक्षी द्वारा भी नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में फरियादी रामलखन अ0सा0 1 की एकल तथा असम्पुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है तथा आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे, यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 11.08.2015 को दिन के लगभग 11:20 बजे सदर बाजार गोहद में फरियादी रामलखन सोनी की दुकान में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजा खॉ, वाहिद कुरैशी एवं काले खॉ को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0द0सं0 की धारा 452 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 21/03/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)